न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 23/2020

1. श्रीमती उच्छब कंवर पत्नि स्व श्री दशरथ सिंह जाति राजपूत उम्र 62 साल निवासी ग्राम कांकनियावास तहसील रूपनगढ जिला अजमेर
2. श्रीमती प्रेम कंवर पत्नि स्व श्री गोपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 70 साल निवासी ग्राम कांकनियावास तहसील रूपनगढ जिला अजमेर

प्रार्थिया गण

बनाम

1 श्रीमती शहनाज पत्नि लुकमान दायमा जाति मुसलमान
2 श्रीमती सुगनी पत्नि मोहम्मद उस्मान जाति मुसलमान सर्व बालिग निवासी ग्राम कायड तहसील व जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक 12/2/25

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री गोविन्ददास पुरोहित द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का श्रीमान के समक्ष पेश किया गया था जिसमे पत्रावली दिनांक 20/7/2018 को तामील प्रतिवादी गण में नियत थी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता दिसम्बर 2017 मे पैर मे गम्भीर चोट आ जाने से तथा तदुपरान्त निरन्तर भीलवाडा मे इलाजरत रहने से न्यायलय श्रीमान के समक्ष उपस्थित नही हो सके इसी क्रम मे वह दिनांक 20/7/2018 को भी श्रीमान के समक्ष उपस्थित नही हो सके तथा ना ही वे प्रार्थीगण को सूचित कर सके व प्रार्थीगण का वाद अदम हाजिरी अदम पैरवी मे खारिज फरमा दिया गया । स्वस्थ होने के उपरान्त प्रार्थीगण के अधिवक्ता दिनांक 19/10/2019 को जब न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित हुए व पत्रावली बाबत जानकारी चाही तो उनको यह ज्ञात हुआ कि पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी मे खारिज कर दी गई है अधिवक्ता द्वारा अविलम्ब नकल के लिए आवेदन किया अधिवक्ता को दिनांक 30/12/2019 को आदेशिका की नकल प्राप्त हुई है । पत्रावली तामील प्रतिवादी के स्तर पर विचाराधीन थी अधिवक्ता की अनुपस्थिति सदभाविक कारण से थी इसमे न्यायालय श्रीमान के आदेश की अवहेलना करने की कतई मंशा नही थी । पत्रावली को न्यायहित मे पुन नम्बर पर लेना आवश्यक है अन्यथा वादीगण के हितो पर विपरीत प्रभाव पडेगा एवं वाद बाहुल्यता बढेगी वादीगण वरिष्ठ नागरिक है यदि पत्रावली को पुन नम्बर पर लेने के आदेश नही प्रदान किये जाते है तो वादीगण न्याय प्राप्ति से वंचित रह जाऐंगी जो न्याय की कतई मंशा नही है। वाद श्रीमान के समक्ष विचाराधीन था अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त हैं यह कि प्रार्थना पत्र पर उचित न्यायशुल्क के टिकट चस्पां है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर के दिनांक 20/7/2018 के आदेश को अपास्त करके पत्रावली को पुन नम्बर पर लेने के आदेश न्यायहित मे प्रदान करे ।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 28.01.2020 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 18.11.2020 को वकील अप्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर द्वारा जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 के कथनो का जवाब इस प्रकार से है कि प्रार्थीयागण द्वारा माननीय न्यायालय में वाद 04.08.2017 को प्रस्तुत किया गया परन्तु दिनांक 20.07.2018 तक पुनः उपस्थित ही नहीं हुये एवं पत्रावली तलबी हेतु ही नियत थी एवं दिनांक 12.06.2018 की आदेशिका में वादीगण / प्रार्थीयागण को अनुपस्थित बताया गया परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा न्यायहित में एक अवसर देते हुये दिनांक 20.07.2018 को नियत कि गयी परन्तु

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

वादीयागण/प्रार्थीयागण की घोर लापरवाही व अप्रार्थीया /जवाबकर्ती को हैरान व परेशान करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया गया एवं उपरोक्त वाद अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारीज हो जाने से पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो केवल मात्र अप्रार्थीया / जवाबकर्ती को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया गया जो प्रथम दृष्ट्या ही खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 के कथनो का जवाब इस प्रकार से है कि इसमें अधिवक्ता की किसी भी प्रकार से लापरवाही नजर नहीं आती है परन्तु प्रार्थीया/वादीयागण की घोर लापरवाही है चुंकि उक्त प्रार्थीयागण / वादीयागण ने अपने प्रकरण की किसी भी प्रकार से कोई सुध/तारीख पेशी की जानकारी नहीं ली गयी है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 के कथनो का जवाब इस प्रकार से है कि उपरोक्त प्रकरण की जानकारी दिनांक 19.10.2019 को होना बताया जा रहा है एवं उसी दिनांक को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना बताया गया है परन्तु प्रमाणित प्रति दिनांक 30.12.2019 को प्राप्त हुई जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रार्थीया/वादीयागण को अपने प्रकरण से किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं है प्रार्थीया/वादीयागण केवल मात्र अप्रार्थीया /जवाबकर्ती को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 4 के कथनो का जवाब इस प्रकार से है कि वादीयागण/प्रार्थीयागण द्वारा दिनांक 04.08.2017 को वाद प्रस्तुत किया गया था परन्तु दिनांक 20.07.2018 तक अप्रार्थीगण की तामील ही नहीं करवाई गयी इसका मतलब यही है कि प्रार्थीयागण/वादीयागण द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीया/जवाबकर्ती को हैरान व परेशान किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 5 के कथनो का जवाब इस प्रकार से है कि वादीयागण/प्रार्थीयागण द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया था वह अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया जो केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा वाद प्रस्तुत किया गया है अगर ऐसी किसी प्रकार की वाद बाहुल्यता बढने की सम्भावना होती तो वादीयागण / प्रार्थीयागण द्वारा जब वाद प्रस्तुती दिनांक 04.08.2017 से वाद खारीज दिनांक 20.07.2018 तक अप्रार्थीया / जवाबकर्ती की तलबी क्यो न कराई गयी एवं ना ही किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न हुआ एवं ना ही दिनांक 20.07.2018 से आज दिन तक किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ इस कारण प्रार्थीयागण/वादीयागण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 5 के कथनो का जवाब इस प्रकार से है कि प्रार्थीयागण/वादीयागण को उपरोक्त आदेश दिनांक 20.07.2018 की जानकारी दिनांक 19.10.2019 को होना अंकित किया गया है जो अन्दर मियाद नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीयागण/वादीयागण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारीज फरमाया जावें। अप्रार्थीया संख्या 02 की ओर से भी प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

दिनांक 0302.2025 को हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा पेश दस्तावेज से सिद्व होता है कि वकील वादी उक्त दिनांक को बीमारी से ग्रसित थे, अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसरण तथा न्यायहित में हमारे द्वारा वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर पूर्व आदेश दिनांक 20.07.2018 को अपास्त किया जाता है, प्रार्थना पत्र को मूल वाद संख्या 163/2017 में संलग्न किया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12/5 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारन)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)